

महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT II)
KERALA, THIRUVANANTHAPURAM

सं.लेप II/प्रशासन / निमलेप (विविध)/33-1/2025-26

No. Au II/Admn./CAG(Misc)/33-1/2025-26

दिनांक / Dated: 18.08.2025

परिपत्र / CIRCULAR NO:25

विषय: सीए (इंटरमीडिएट), सीए (फाइनल) और आईसीएमएआई के लिए प्रोत्साहनों पर संशोधित दिशानिर्देशों - संबंधी।

Sub: Revised Guidelines on incentive after completion of CA (Intermediate), CA (Final) and ICMAI-reg.

परिपत्र संख्या 09 दिनांक 01.05.2025 में आंशिक संशोधन करते हुए, मुख्यालय कार्यालय के पत्र संख्या 966/24/GE-I/2021 दिनांक 28.07.2025 के अनुसार निम्नलिखित परिवर्तन अनुपालनार्थ सूचित किए जाते हैं:

In partial modification to the Circular No. 09 dated 01.05.2025, the following changes are communicated, in accordance with Headquarters Office letter No. 966/24/GE-I/2021 dated 28.07.2025, for compliance:

1. संक्षिप्त नाम "आईसीडब्ल्यूए" को "आईसीएमएआई" माना जाए।

The abbreviation "ICWA" may be treated as "ICMAI".

2. "प्रतिपूर्ति का दावा करने की प्रक्रिया" शीर्षक वाले बिंदु को "प्रोत्साहन का दावा करने की प्रक्रिया" पढ़ा जाए।

The point titled "Procedure for claiming reimbursement" shall be read as "Procedure for claiming incentive".

3. आईसीडब्ल्यूए/आईसीएमएआई (इंटरमीडिएट) परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन राशि ` 40,000/- निर्धारित की जाती है।

The incentive amount for passing ICWA/ICMAI (Intermediate) examination is fixed at ` 40,000/-.

उपरोक्त परिपत्र संख्या 09 दिनांक 01.05.2025 में उल्लिखित अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

All other terms and conditions mentioned in the aforesaid circular No. 09 dated 01.05.2025 shall remain unchanged.

{वर्षिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन एवं एएमजी I) के दि. 18.08.2025 के आदेशानुसार
Vide orders dated 18.08.2025 of Sr. DAG (Admn & AMG-I)}

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी प्रशासन/
Senior Audit Officer/ Administration

प्रतिलिपि/ Copy to:

1. मले के सचिव / Secy. to AG
2. व उप मले (प्रशा. एवं एएमजीI) के नि स /PA to Sr. DAG (Admn & AMG-I)
3. उप मले (प्रशा. एवं एएमजीII) के नि स /PA to DAG (AMG-II)
4. व उप मले (एएमजीIII) के नि स /PA to Sr. DAG (AMG-III)
5. सभी शाखा अधिकारीगण / All Branch Officers
6. सभी अनुभाग / All Sections
7. सूचनापट्ट / Notice Board